



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-01112025-267311
CG-DL-W-01112025-267311

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 1—नवम्बर 7, 2025 (कार्तिक 10, 1947)
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1—NOVEMBER 7, 2025 (KARTIKA 10, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	533	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1115	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	4517	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	3243
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	5887
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	533	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1115	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	4517	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3243
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	5887
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली – 110003, दिनांक 24 सितंबर 2025

संकल्प

संख्या ई-17/1/2019-हिन्दी—उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के दिनांक 03 मार्च, 2022 के संकल्प संख्या ई-17/1/2019-हिन्दी का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार एतद्द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है:—

गठन

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री	श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया	अध्यक्ष
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री	डॉ. सुकान्त मजूमदार	उपाध्यक्ष
गैर-सरकारी सदस्य		
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित		
1.	श्रीमती कृति देवी देबबर्मन (लोक सभा)	सदस्य
2.	श्री अमरसिंग टिस्सो (लोक सभा)	सदस्य
3.	श्री नबाम रेबिआ (राज्य सभा)	सदस्य
4.	श्रीमती एस. फान्गनॉन कोन्याक (राज्य सभा)	सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित		
5.	श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (लोक सभा)	सदस्य
6.	श्री सतपाल ब्रह्मचारी (लोक सभा)	सदस्य
केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, 116, टाइप-4, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली द्वारा नामित		
7.	श्री जगदीश राम पौरी फ्लैट नं. डी-903, गौरी गणेश अपार्टमेंट, हिमाचली, सीजीएचएस लि., प्लॉट नं. 8, सेक्टर-3, द्वारका, नई दिल्ली-110078	सदस्य
अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, 10788-89, झंडेवालान रोड, नबी करीम, नई दिल्ली - 110055 द्वारा नामित		
8.	डॉ. क्षीरदा कुमार शङ्कीया मंत्री, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा प्रकल्प, सेवा मंदिर पथ, रूप नगर, गुवाहाटी - 781032 (असम)	सदस्य

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा नामित		
9.	श्री बसंत सेठिया 227/2 एजेसी बोस रोड, कोलकाता-700020	सदस्य
10.	श्री अजीत मेंदोला 159, पॉकेट 1, सेक्टर 6, द्वारका, नई दिल्ली-110075	सदस्य
11.	श्री शरद द्विवेदी एफ-83/41, तुलसी नगर, नर्मदा मंदिर के समीप, सेकंड स्टॉप, भोपाल - 462003	सदस्य
12.	श्री केशव पांडेय 14, लक्ष्मी बाई कॉलोनी, पड़ाव, लशकर, ग्वालियर - 474002	सदस्य
गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा नामित		
13.	श्री हैजुवांग, तेनींग टाउन, पेरेन, नागालैंड-797101	सदस्य
14.	प्रो. पवन अग्रवाल, प्रश्रय, 610/191 ए, केशवनगर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226020	सदस्य
15.	श्री छोटू राम शर्मा, इंदिरा नर्सरी स्कूल के माध्यम से गाँव: डेयरी फार्म (शिव मंदिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास) शहर: श्री विजयपुरम, ज़िला: दक्षिण अंडमान पिन कोड- 744103 संघ राज्य क्षेत्र: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	सदस्य
सरकारी सदस्य		
गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग)		
16.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
17.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय		
18.	सचिव	सदस्य
19.	संयुक्त सचिव तथा वरिष्ठ स्तर के सभी अधिकारी	सदस्य
20.	निदेशक/उप सचिव तथा समकक्ष स्तर के सभी अधिकारी	सदस्य
21.	सचिव, पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग	सदस्य
22.	प्रबंध निदेशक, एनईएचएचडीसी, गुवाहाटी	सदस्य
23.	प्रबंध निदेशक, नेरामेक, गुवाहाटी	सदस्य
24.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेडफी, गुवाहाटी	सदस्य
25.	संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी)	सदस्य-सचिव

II. कार्य

समिति का कार्य राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में लागू करवाने के बारे में सलाह देना होगा।

III. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से निम्नलिखित बातों के अधीन सामान्यतः तीन वर्ष का होगा:

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने की स्थिति में इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे;
- (ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर बने रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे; और
- (ग) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण खाली हुए स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होंगे।

IV. मुख्यालय

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 21 जनवरी, 2019 के का.जा. संख्या 14013/01/2019-रा.भा.(नीति) के अनुसार हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन दिल्ली क्षेत्र में ही किया जाना अपेक्षित है।

V. यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) दिनांक 03 फरवरी, 2006 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित हिन्दी सलाहकार समितियों में नामित 15 गैर-सरकारी सदस्यों में 06 संसद सदस्य होते हैं, अतः यात्रा/दैनिक भत्ता प्रावधान को अधिक स्पष्ट करते हुए निम्न प्रावधान किया जाता है:-

- (क) समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जायेगा।
- (ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/04/86-रा.भा. (क-2) में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों और सभी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, महालेखाकार, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भुगतान और लेखा कार्यालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सूरत सिंह
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi- 110003, the 24th September 2025

RESOLUTION

No. E-17/1/2019-Hindi—In supersession of the Ministry of Development of North Eastern Region's resolution No. E-17/1/2019-Hindi dated 03rd March, 2022, the Government of India hereby, reconstitutes the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Development of North Eastern Region as under :—

COMPOSITION

Minister of Development of North Eastern Region	Shri Jyotiraditya M. Scindia	Chairman
Minister of State in the Ministry of Development of North Eastern Region	Dr. Sukanta Majumdar	Vice Chairman
NON-OFFICIAL MEMBERS		
Nominated by Ministry of Parliamentary Affairs		
1.	Smt. Kriti Devi Debbarman (Lok Sabha)	Member
2.	Sh. Amarsing Tisso (Lok Sabha)	Member
3.	Shri Nabam Rebia (Rajya Sabha)	Member
4.	Smt. S. Phangnon Konyak (Rajya Sabha)	Member
Nominated by Committee of Parliament on Official Language		
5.	Smt. Mala Rajya Laxmi Shah (Lok Sabha)	Member
6.	Sh. Satpal Brahamchari (Lok Sabha)	Member
Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, 116, Type-4, Lakshmibai Nagar, New Delhi		
7.	Shri Jagdish Ram Pauri Flat No. D-903, Gauri Ganesh Apartment, Himachali, CGHS Ltd., Plot No.8, Sector-3, Dwarka, New Delhi-110078	Member
Nominated by Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh, 10788-89, Jhandewalan Road, Nabi Karim, New Delhi – 110055		
8.	Dr. Khirda Kumar Saikia, Mantri, Asam Rashtrabhasha Prachar Samiti, Rashtrabhasha Prakalp, Sewa Mandir Path, Roop Nagar, Guwahati-781032 (Assam)	Member
Nominated by Ministry of Development of North-Eastern Region		
9.	Shri Basant Sethia 227/2 AJC Bose Road, Kolkata-700020	Member
10.	Shri Ajit Mendola, 159, Pocket 1, Sector-6, Dwarka, New Delhi-110075	Member
11.	Shri Sharad Dwivedi F-83/41, Tulsi Nagar, Near Narmada Mandir, Second Stop, Bhopal - 462003	Member
12.	Shri Keshav Pandeya 14, Lakshmi Bai Colony, Padaav, Lashkar, Gwalior - 474002	Member
Nominated by Ministry of Home Affairs (Department of Official Language)		
13.	Sh. Haizuwang, Tening Town, Peren, Nagaland- 797101	Member

14.	Dr. Pawan Agarwal PRSHRAY 610/191A, Keshav nagar, Sitapur Road, Lucknow-226020 (Uttarpradesh)	Member
15.	Chhotu Ram Sharma C/o Indira Nursery School Village: Dairy Farm (Near Shiva Mandir Shopping Complex) City: Sri Vijaya Puram, District: South Andaman, Pincode-744103 UT: Andaman and Nicobar Islands	Member
OFFICIAL MEMBERS		
Ministry of Home Affairs (Department of Official Language)		
16.	Secretary, Department of Official Language	Member
17.	Joint Secretary, Department of Official Language	Member
Ministry of Development of North Eastern Region		
18.	Secretary	Member
19.	All officers of level of Joint Secretary and above	Member
20.	All officers of Director/Deputy Secretary level and equivalent	Member
21.	Secretary, NEC, Shillong	Member
22.	Managing Director, NEHDC, Guwahati	Member
23.	Managing Director, NERAMAC, Guwahati	Member
24.	Chairman & Managing Director, NEDFi, Guwahati	Member
25.	Joint Secretary (In-charge Official Language)	Member-Secretary

II. Functions

The functions of the Samiti will be to render advice for the implementation of the policies laid down by Department of Official Language regarding the progressive use of Hindi for official purpose in the Ministry of Development of North Eastern Region.

III. Tenure

The tenure of the Samiti will ordinarily be three years from the date of its constitution provided that:-

- the Members of the Parliament who are members of the Samiti shall cease to be the members of the Samiti as soon as they cease to be the Members of the Parliament;
- ex-officio members of the Samiti shall continue to be the members of the Samiti as long as they hold the office by virtue of which they are the members of the Samiti; and
- if any vacancy arises in the Samiti owing to the death of a member or owing to tendering of resignation by a member, the member so appointed against that vacancy shall hold office for the residual term of the Samiti.

IV. Headquarters

The Headquarters of the Samiti will be at New Delhi. As per the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs' O.M. No.14013/01/2019-OL (Policy) dt. 21 January, 2019, it is requisite that the meetings of the Samiti be organized in Delhi region.

V. Travelling and other allowances

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, vide their Office Memorandum No. 11/20034/04/2005-OL(Policy-2) dated 3rd February, 2006 has stated that as the 15 non-official members include 6 Members of Parliament nominated in the Hindi Salahakar Samitis constituted by Central Ministries/Department, so the provision regarding travelling/daily allowance is made more elaborate in the following manner:—

- The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid travelling and daily allowance as per the provisions in the "Members of Parliament (Salary, Allowance and Pension) Act, 1954" and amendments issued from time to time and rules made thereunder.

- (b) Travelling allowance and daily allowance to other non-official Members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language OM. No. 11/20034/04/86-OL(A-2) dated 22nd January 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of the Development of North Eastern Region, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime-Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, NITI Aayog, all Ministries/Departments of Government of India, all State Governments and Union Territory Administrations, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Election Commission, Union Public Service Commission, Pay and Accounts Office, Ministry of DoNER and all Subordinate Offices/Undertakings of the Ministry of DoNER.

It is also ordered that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SURAT SINGH
Joint Secretary